N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0130 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 28/05/2025 14:59 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(b)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** बुधवार **Date From (दिनांक से):** 12/03/2025 **Date To (दिनांक तक):** 12/03/2025

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 17:30 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/05/2025 **Time (समय):** 13:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 28/05/2025 14:59:56 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 100 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** UP TEHSIL DUDHVA,JILA BALOTARA

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) **Name(नाम):** NARENDER KUMAR

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 02/07/1989 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KHUIYALA, RAMGARH(JAISALMER), JAISALMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KHUIYALA, RAMGARH(JAISALMER), JAISALMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	AASHISH RANJAN VISHVAS		पिता:PROMAD RANJAN VISHVAS	1. 37,AASHAPURNA NAGAR,,PAL BY PASS BORANADA,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,29,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 2,29,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन हैं कि मन् नरेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस, अधीक्षक, भ्र.नि. ब्यूरो बाड़मेर को दिनांक 12.03.2025 को वक्त करीबन 1230 पी.एम. पर ब्यूरो के विश्वस्त सूत्रों मे विश्वसनीय सूचना मिली कि संदिग्ध श्री आशिष रंजन विश्वास सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उप तहसील दूधवा, जिला बालोतरा के पास रजिस्ट्री पंजीयन लिपिक का प्रभार हैं, जो आज आगे होली के अवकाश के मध्यनजर उप तहसील दूधवा क्षैत्र के स्टाम्प वैण्डर एंव डीड राईटर तथा अन्य पंजीयन दलालों से कार्यालय में गत कुछ दिनों में रजिस्टर्ड/पंजीबद्व दस्तावेजों की कीमत के एक प्रतिशत की दर से बनने वाली कमीशन (रिश्वती) राशि करीब दो-ढाई लाख रू. संकलित कर आज ही किसी भी समय अपने किसी खास विश्वस्त साथी के जरिये कार्यालय से अपने गन्तव्य स्थान या किसी अन्य गोपनीय स्थान के लिए उक्त रिश्वती राशि पार करेगा, साथ ही यह भी सूचना मिली कि श्री आशिष रंजन सहायक प्रशासनिक अधिकारी स्ंवय प्रतिदिन अपने निजी वाहन महिन्द्रा 3 एक्स डी नं. आर.जे 04, सीडी 7773 से जोधपुर अप-डाऊन करता हैं, किन्तु अवैध वसूली/संदिग्ध राशि स्ंवय परिवहन नहीं कर अपने किसी खास विश्वस्त के जरिये कार्यालय से ही पार करवा देता हैं। संदिग्ध अधिकारी स्टाम्प वैण्डर एंव डीड राईटर तथा अन्य पंजीयन दलालों को कार्यालय में पंजीबद्व किये जाने वाले दस्तावेजों की कीमत/मालियत राशि का एक प्रतिशत की दर रिश्वती राशि के लिए परेशान करता हैं एंव प्रत्येक वैण्डर, डीड राईटर तथा अन्य पंजीयन दलाल द्वारा कार्यालय में पंजीयन कराये जाने वाले दस्तावेजात का पूरा हिसाब-किताब रखता हैं, संदिग्ध अधिकारी स्वयं इतना चालाक एंव शातिर हैं कि स्वयं कभी भी अवैध रूप से संकलित रिश्वती राशि का परिवहन नहीं करता हैं। जिस पर चूंकि सूचना विश्वसीय होने से इसे ब्यूरो के उच्च-अधिकारियों के संज्ञान में लाकर संदिग्ध अधिकारी द्वारा रिश्वती राशि संकलित कर अपने खास व्यक्ति के साथ कार्यालय से पार कर खुर्द-बुर्द करने से पूर्व ही इसके विरूद्व विधिनुसार आकस्मिक चैकिंग कार्यवाही का निर्णय लिया गया। संदिग्ध श्री आशिष रंजन विश्वास सहायक प्रशासनिक अधिकारी की जामा तलाशी एंव उसके कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी का तलाशी वारण्ट सक्षम न्यायालय से प्राप्त करने में समय लगने व तब तक संदिग्ध अधिकारी द्वारा अवैध राशि को कहीं खुर्द-बुर्द करने की पूर्ण संभावना के मध्यनजर हस्ब कायदा धारा 103 व 185 बी.एन.एस.एस. 2023 के विधिक प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए संदिग्ध अधिकारी के विरूद्व आकस्मिक चैकिंग कार्यवाही आयोजित करने हेतु कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति बाड़मेर से ऊपर वर्णित दोनों स्वतन्त्र गवाहान की तलबी करवाकर उक्त गवाहन को तलब करने के प्रयोजन से अवगत करवाया गया, जिन्होंने पूर्ण जानकारी प्राप्त कर इस कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की सहमति प्रदान की। तत्पश्चात वक्त 0100 पी.एम. पर मन् नरेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस, अधीक्षक, मय ब्यूरो जाब्ता सर्व श्री मोहम्मद हनीफ ए.एस.आई, मोहनराम हैड कानि नं. 33, सुराब खां हैड कानि. 97, मनोहरराम कानि नं. 39, शोभसिंह कानि नं. 35 तथा ऊपर वर्णित दोनों स्वतन्त्र गवाहन श्री ओमप्रकाश सहायक विकास अधिकारी व श्री राहुल सोलंकी कनिष्ठ सहायक मय लेपटाप, ट्रेप बॅाक्स, प्रिन्टर एंव राजकीय ऑडियो विडिओ रिकॉर्डर मय इंस्ट्रोल सुदा मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 64 जी.बी. तथा अन्य आवश्यक सामग्री के जरिये राजकीय वाहन बोलेरो नं. आर.जे. 14 यूसी 9364 चालक श्री पवन कुमार नं. 478 के ब्यूरो कार्यालय बाड़मेर से रवाना होकर ग्राम दूधवा में उप तहसील कार्यालय के पास पंहुच गोपनीय रूप से संदिग्ध श्री आशिष रंजन विश्वास सहायक प्रशासनिक अधिकारी के बारे में मालुमात की गई तो संदिग्ध अधिकारी का निजी वाहन महिन्द्रा 3 एक्स डी नं. आर.जे 04, सीडी 7773 उप तहसील कार्यालय के बाहर पार्क किया हुआ मिला तथा कार्यालय प्रभारी श्री जोताराम नायब तहसीलदार का राजकार्य मे बाहर जाना व कार्यालय में संदिग्ध अधिकारी श्री आशिष रंजन विश्वास की मौजूदगी होना तथा इसके द्वारा अवैध रूप में कार्यालय में ही रिश्वती राशि का संकलन करने में व्यस्त होने की जानकारी सामने आई, जिस पर उक्त संदिग्ध अधिकारी की आकस्मिक चैकिंग हेतु मय मौतबिरान एंव ब्यूरो जाब्ता के उप तहसील कार्यालय दूधवा के परिसर में प्रवेशित होकर इस कार्यवाही की हमराह जाब्ता के श्री मनोहरराम कानि. नं. 39 से साथ लाये गये कार्यालय के ऑडियो विडिओ रिकॉर्डर से ऑडियो विडिओ रिकॉर्डिंग प्रारम्भ करवाई जाकर अग्रिम कार्यवाही प्रांरभ की जाकर उप तहसील भवन में दाखिल हुए तो सामने वाले काउण्टर के सामने कुर्सी पर एक व्यक्ति ब्राऊन रंग का फुल आम्तीन का शर्ट व जीन्स पैण्ट पहने हुए बैठा मिला, जिसके सामने क्रीम कलर की सफारी पहने तथा आंखों पर चश्मा लगाये हुए एक वृद्व व्यक्ति खड़ा मिला, जिन्हें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर मन्तव्य से अवगत करवाकर उनका परिचय पूछा तो सफारी सूट पहने खड़े व्यक्ति ने काउण्टर पर रखे हुए कुछ दस्तावेज

उठाये एंव निर्देशानुसार एक साईड में जाकर खड़े हो गये। जबकि काउण्टर के सामने कुर्सी पर बैठे हुआ व्यक्ति एसीबी दल को देखकर हड़बड़ाते हुए कुर्सी से खड़ा हो गया, जिसके हाथ में भारतीय मुद्रा 500-500 रू. के नोट पकड़े हुए थे, जो उसने एसीबी दल को देखकर शीघ्रता से अपने पहनी हुई जीन्स-पैण्ट के पीछे की जेब में रख दिये, तथा घबराते हुए उसने अपना परिचय आशिष रंजन विश्वास पुत्र श्री प्रमोद रंजन विश्वास, जाति बगांली, उम्र 37 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी मकान नं. 37 आशापूर्णा नगर, पाल बाईपास बारानाडा जोधपुर, पुलिस थाना बोरानाडा, जिला जोधपुर, हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कम रजिस्ट्री पंजीयन लिपिक, उप तहसील दूधवा, जिला बालोतरा, मोबाईल नं. [redacted] के रूप मे दिया। एसीबी दल के कार्यालय में प्रवेश के वक्त संदिग्ध के सामने खड़े सफारी सूट पहने तथा चश्मा लगाये हुए वृद्ध व्यक्ति को एक कुर्सी पर बिठाकर उनका परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय श्री भीमाराम पुत्र श्री मानाराम, जाति चैधरी-कलबी, उम्र 63 वर्ष, पैशा डीड राईटर जसोल, निवासी असाडा, जिला बालोतरा, मोबाईल नं. [redacted] के रूप में दिया, जिम पर उसे उप तहसील कार्यालय दूधवा में आने के संबध में पूछा गया तो बताया कि मैं सब रजिस्ट्रार कार्यालय जसोल के बाहर डीड राईटर का कार्य करता हु, मेरे पास इस कार्यालय के कुछ दस्तावेज पंजीयन हेतु पार्टी आई थी, जिस पर आज अभी कुछ देर पहले ही मेरे क्लाईण्ट्स के दस्तावेज पंजीयन करवाने हेतु यहां आया था, तथा यहां दस्तावेज पंजीयन करवाकर अभी यहां से वापस निकलने वाला था कि इतने में आप लोग आ गये, जिस पर श्री भीमाराम को कार्यवाही के दौरान उप तहसील कार्यालय में ही बैठे रहने की हिदायत की गई। तत्पश्चात संदिग्ध श्री आशिष रंजन विश्वास से मुखातिब हुआ तो उसने बोला कि मेरे पास कोई रूपये नहीं हैं, आप आराम से तलाशी ले सकते हो, जिस पर उसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान की जामा तलाशी लेने का कहा गया तो उसने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया, जिस पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री ओमप्रकाश सहायक विकास अधिकारी व श्री राहुल सोलंकी कनिष्ठ सहायक से संदिग्ध अधिकारी की जामा तलाशी लिवाई गई तो उसके पहनी हुई जीन्स-पैण्ट के पीछे के दांहिने साईड की जेब में भारतीय मुद्रा 500-500 रू. के नोट मिले, जिसकी गवाह श्री राहुल सोलंकी से गिनती करवाई गई तो 10,000 रू. होना पाये गये, जिसके सम्बन्ध में पूछने पर संदिग्ध श्री आशिष रंजन विश्वास सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने उसके कार्यालय कक्ष में कुर्सी पर बैठे श्री भीमाराम डीड राईटर की तरफ हाथ से ईशारा कर बताया कि मेरे घर जरूरत होने से श्री भीमाराम जी से मैंने उधार लिये हैं, जिस पर हाजिर श्री भीमाराम ने संदिग्ध श्री आशिष रंजन विश्वास के उपरोक्त कथनों का उसी वक्त खण्डन करते हुए बताया कि मैंने आज अभी इसे कोई पैसे नहीं दिये हैं, यह मेरा नाम झूठा बता रहा हैं, मेरा इस पैसों से कोई मतलब/संम्बन्ध नहीं हैं। जिस पर श्री आशिष रंजन विश्वास सहासक प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि ये (श्री भीमाराम) नहीं मानते हैं तो समझो कि यह रूपये मेरे ही हैं। संदिग्ध के कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी के दौरान स्वतन्त्र गवाह श्री ओमप्रकाश सहायक विकास अधिकारी को संदिग्ध श्री विश्वास की सीटिंग कुर्सी से सटी दांहिनी तरफ रखी देराज में एक कपड़े की थैली में 500-500 रू. के नोटों की 04 गड्डियां रखी मिली, जिसे देखते ही संदिग्ध अधिकारी ने कहा कि यह थैली मेरी नहीं हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हु । सार्वजनिक ऑफिस हैं यहां पर कई लोग आते-जाते रहते हैं, पता नहीं किसी ने यह थैली यहां रख दी होगी। जिस पर उसे शान्त रहने की हिदायत कर थैली में रखे नोटों की गिनती स्वतन्त्र गवाह श्री ओमप्रकाश सहायक विकास अधिकारी व श्री राहुल सोलंकी कनिष्ठ सहायक से करवाई गई तो भारतीय मुद्रा 500-500 रू. के 380 नोट कुल राशि 1,90,000 रू. होना पाये गये। इसके पश्चात कार्यालय के बाहर खड़ी संदिग्ध की निजी कार महिन्द्रा 3 एक्स डी नं. आर.जे.04, सीडी 7773 का संदिग्ध से ही लॉक खुलवाकर दोनों गवाहन से तलाशी लिवाई गई तो कार में चालक साईड के फाटक की देराज में 500-500 रू. के नोटों की गड्डी रखी मिली, जिसकी गवाह श्री राहुल सोलंकी से गिनती करवाई गई तो 29,000 रू. होने पाये गये। इस राशि के बारे में पूछने पर संदिग्ध श्री आशिष रंजन ने बताया कि यह राशि मैं जोधपुर से मेरे दोस्तों सर्व श्री नरेश, मोण्टू, सुमित, किट्टू आदि से थोड़ी-थोड़ी करके इकट्ठी कर पचपदरा एसबीआई बैंक में जमा कराने लाया था, किन्तु आते वक्त समय नहीं मिलने से अब जाते समय जमा करवाने थे। साथ ही संदिग्ध द्वारा जोधपुर में अपना खाता होना लेकिन समय नहीं मिलने से पचपदरा बैंक में पैसा खाते में जमा कराना बताया। कार में ही उक्त राशि के पास एक बटुआ मिला, जिसे संदिग्ध द्वारा स्वयं का होना बताया, उक्त बटुए को गवाह श्री राहुल सोलंकी से चैक करवाया गया तो बटुए में 2070 रू. मिले, जिसे संदिग्ध द्वारा अपनी जेब खर्च की राशि होना बताया, जो प्रत्युत्तर संतोषजनक होने से बटुआ मय राशि 2070 रू. के संदिग्ध अधिकारी श्री आशिष रंजन को पुनः सुपुर्द किया गया। संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपना उक्त वाहन अगस्त/2023 में यूनियन बैंक से 10.00 लाख रू. के फायनेन्स पर क्रय करना बताया, वाहन के माईलो मीटर में 32150 किलोमीटर चलना पाया गया। इस प्रकार आकस्मिक चैकिंग के दौरान संदिग्ध श्री आशिष रंजन विश्वास सहायक प्रशासनिक अधिकारी उप तहसील दूधवा की अभिरक्षा/कब्जे से कुल 02,29,000 रू. मिले, जिनके स्त्रोत के संबध में उक्त संदिग्ध अधिकारी से पूछताछ की गई तो कोई संतोषजनक प्रत्युत्तर नहीं दिया, इस आकस्मिक चैकिंग कार्यवाही की ऑडियो-विडियोग्राफी बन्द करवाई गई। संदिग्ध अधिकारी राशि के स्त्रोत के संबध में जान-बूझकर कोई स्पष्ट तथ्य नहीं बता रहा था, लिहाजा प्रथम दृष्टिया उक्त बरामदा राशि संदिग्ध अधिकारी द्वारा उप तहसील कार्यालय क्षैत्र के स्टाम्प वैण्डर एंव डीड राईटर तथा अन्य पंजीयन दलालों से कार्यालय में हाल के दिनों में रजिस्टर्ड/पंजीबद्व दस्तावेजों की कीमत/मालियत पर एक निश्चित दर से बनने वाली कमीशन (रिश्वत) राशि के रूप में अवैध रूप से वसूल कर संकलित करना पाया जाने से संदिग्ध

अधिकारी के कब्जा से बरामदा राशि 02,29,000 रू. को अवैध एंव संदिग्ध राशि मानते हुए रूबरू मौतबिरान जब्त किया गया। संदिग्ध अधिकारी का वाहन यथास्थिति में ही रूबरू मौतबिरान उसे पुनः सुपुर्द किया गया। कार्यवाही के सम्बन्ध में ब्यूरो के उच्च अफसरान को हालात जरिये मोबाईल निवेदन किये गये। आकस्मिक चैकिंग कार्यवाही की ऑडियो - विडियोग्राफी हेतु राजकीय ऑडियो-विडियो रिकॉर्डर में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड मूल ही को रूबरू मौतबिरान हस्ब कायदा पृथक से सील्ड मौहर किया गया। दौराने कार्यवाही जब्त नगद राषि 02,29,000 रू. के अलावा संदिग्ध अधिकारी के पास आकम्मिक चैकिंग कार्यवाही के दौरान अन्य कोई संदिग्ध सामग्री, नगद राशि आदि नहीं मिली एंव न ही कब्जा ब्यूरो ली गई । उक्त कार्यवाही की हस्ब कायदा फर्द आकस्मिक चैकिंग मुर्तिब कर इस पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल मिशल की गई। साथ ही फर्द जब्ती मेमोरी कार्ड विडियोग्राफी एंव फर्द हैश वैल्यु ऑडियो -विडियो फाईल हस्ब कायदा मुर्तिब कर शामिल मिशल की गई। संदिग्ध श्री आशिष रंजन विश्वास सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री भीमाराम डीड राईटर को बाद कार्यवाही फारिक किया गया। तत्पश्चात चैकी पंहुच कार्यवाही के दौरान संदिग्ध अधिकारी से जब्त सुदा संदिग्ध राशि 02,29,000 रू. प्रभारी मालखाना श्री सुराब खां हैड कानि. नं. 97 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये । दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री ओमप्रकाश सहायक विकाम अधिकारी व श्री राहुल सोलंकी कनिष्ठ सहायक को फारिक कर गन्तव्य हेतु रूखस्त दी गई। उपरोक्त कार्यवाही के दौरान आरोपी के पास एक दिन की वैद्य आय (आय के ज्ञात स्रोत) से अनुपातिक रूप से अधिक धनीय संसाधन या सम्पति उनके कब्जे में से बरामद हुई थी, जिनके स्रोत के संबध में उनके पास कोई साक्ष्य नहीं पाया गया एंव न ही उनके द्वारा समाधानप्रद रूप से हिसाब दिया गया, न ही कोई संतोषजनक प्रत्युत्तर दिया गया। लिहाजा उक्त कृत्य से आरोपी श्री आशिष रंजन विश्वास के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 13(1) बी सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का जुर्म घटित होना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया हैं। अतः आरोपी श्री आशिष रंजन विश्वास पुत्र श्री प्रमोद रंजन विश्वास, जाति बगांली ब्राहमण, उम्र 38 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी मकान नं. 37 आशापूर्णा नगर, पाल बाईपास बोरानाडा जोधपुर, पुलिस थाना बोरानाडा, जिला जोधपुर, हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कम रजिस्ट्री पंजीयन लिपिक, कार्यालय उप तहसील दूधवा, जिला बालोतरा के विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 13(1) बी सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें। भवदीय (नरेन्द्रकुमार) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर,............कार्यवाही पुलिस....................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेन्द्रकुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)बी सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री आशिष रंजन विश्वास पुत्र श्री प्रमोद रंजन विश्वास, जाति बगांली ब्राहमण, उम्र 38 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी मकान नं. 37 आशापूर्णा नगर, पाल बाईपास बोरानाडा जोधपुर, पुलिस थाना बोरानाडा, जिला जोधपुर, हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कम रजिस्ट्री पंजीयन लिपिक, कार्यालय उप तहसील दूधवा, जिला बालोतरा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ओमप्रकाश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जोधपुर एस.यू., जोधपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 516 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 759-62 दिनांक 28.05.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर, 2. जिला कलक्टर बालोतरा 3-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** OM PRAKASH Chodhary **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 28/05/2025 15.

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	08/05/1987				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)